

**झारखण्ड सरकार**

**श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग**

**अधिसूचना**

एस0ओ0.....

राँची, दिनांक.....

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'परिधान परिनिर्माण सेक्टर' तथा 'मेड अप सेक्टर' से संबंधित प्रतिष्ठानों के औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) के मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर प्रारूप के निमित्त, दी झारखण्ड इंडस्ट्रीयल इम्प्लॉयमेन्ट (स्टैंडिंग ऑर्डर) रुल्स, 1947 के नियम- 5 के कंडिका- 2 में संशोधन करते हुए 'कर्मकारों के वर्गीकरण' में छठे (6) वर्ग के बाद एक नया सातवां (7) वर्ग 'नियत अवधि नियोजन कर्मकार' जोड़ा जाता है।

संख्या- 01/श्रमा0 का0 (एस0 ओ0)- 08/2017 श्र0नि0- 1413

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से  
सरकार के अवर सचिव

**अधिसूचना**

एस0ओ0

राँची, दिनांक...23.6.17

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

ज्ञापांक- 01/श्रमा0 का0 (एस0 ओ0)- 08/2017 श्र0नि0- 1414

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से  
सरकार के अवर सचिव

**Notification**

S.O.

Ranchi, dated...23.6.17

In exercise of the powers conferred by section-15 of the Central Government Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, the government of Jharkhand do hereby amend the Jharkhand State Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1947 in its Section-2 of Rules-5 under Classification of workmen, by adding a new seventh (7) group 'Fixed Term Employment' after the sixth (6) group,. This amendment shall in particular be applied for the Apparel manufacturing Sector and Made up Sector, Industrial establishments.

01/श्रमा0 का0 (एस0 ओ0)- 08/2017 श्र0नि0- 1413

By the order of Governor of Jharkhand

Under Secretary to Government

ज्ञापांक- 01/श्रमा0 का0 (एस0 ओ0)- 08/2017 श्र0नि0-1414

राँची, दिनांक- 23.6.17

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को गजट के असाधारण अंकों में 100 प्रतियों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 01/श्रमा0 का0 (एस0 ओ0)- 08/2017 श्र0नि0-1414

राँची, दिनांक- 23.6.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 01/श्रमा0 का0 (एस0 ओ0)- 08/2017 श्र0नि0-1414

राँची, दिनांक- 23.6.17

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उपश्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, झारखण्ड/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

### NOTIFICATION

Ranchi, dated 23.6.17

In exercise of the powers conferred by section 13 of the Central Government Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1947 the Government of Jharkhand do hereby amend the Jharkhand State Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1947 in its Section 2 of Rules under Classification of workmen by adding a new seventh (7) group 'Fixed Term Employment' after the sixth (6) group. The amendment shall in particular be applied for the Apparatus Manufacturing Sector and Made up Sector, Industrial establishments.

01/श्रमा0 का0 (एस0 ओ0)- 08/2017 श्र0नि0-1414

By the order of Government of Jharkhand

(Under Secretary to Government)